(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1242-दो/2007 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 3-5-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 425/1992-93 अपील

1- लक्ष्मण पुत्र रामटहल 2- शिवफल पुत्र बल्ला
3- श्रीमती छोहनी पत्नि वल्ला 4- श्रीमती सकुन्तली पत्नि मटुकधारी
5- रामनिधि 6- रामछवीले पुत्रगण मटुकधारी
7- रामसहोदर 8- रामशिरोमणि अवयस्क
सरपरस्त माता सकुन्तली
9- गिरजा पुत्र भरोषा सभी ग्राम गोपला
तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 ----आवेदकगण

विरूद्व

1- रॅगू (मृत) वारिस दशमति पुत्र रंगू
2- सरजू (मृत) वारिस
क- मनगिरिया पत्नि सरजू
ख- रामजियावन पुत्र सरजू
ग- सुशीला पत्नि राममिलन
3- जगधारी पुत्र शिवटहल 4- रामेश्वर पुत्र कामता
5- भाईलाल पुत्र कामता 6- दयाराम पुत्र कामता
7- छोटकिया पत्नि चन्द्रभान 8- सीताशरण पुत्र चन्द्रभान
9- वृजभान पुत्र किशोर 10- सूर्यभान पुत्र किशोर
11- फौजदार पुत्र अयोध्या (मृत) 12- लखन पुत्र अयोध्या
13- रामधार पुत्र दशरथ 14- रामरतन पुत्र दशरथ
सभी ग्राम गोपाला तहसील हनुमना जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 06-4-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 425/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-05-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण कमांक 14 अ-27/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 30-11-90 से सामिलाती भूमि का बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण कमांक 220 अ- 27/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-1993 से अपील अस्वीकार की एंव तहसीलदार हनुमना के आदेश दिनांक 30-11-90 को स्थिर रखा। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 425/1991-93 अपील में पारित आदेश दि.3-5-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी , अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि जब पक्षकार बटवारे पर सहमत नहीं है तथा बटवारा असमान है तब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30-11-90 से किये गये असमान बटवारे पर अपीलीय कोर्ट को ध्यान देना चाहिये, किन्तु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। फर्द का प्रकाशन सही ढंग से नहीं किया गया तथा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है । उन्होंने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक कमांक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पक्षकारों के बीच बटवारा करते समय तहसीलदार हनुमना ने सभी पक्षकारों को सुना है जिसके कारण आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय न देने की मांग गलत है। यदि पक्षकारों के समक्ष

फर्द तैयार की जाती है तथा कोई पक्षकार फर्द पर हस्ताक्षर करने तैयार नहीं है तब ऐसे पक्षकार को तहसीलदार के समक्ष आपत्ति करना चाहिये, किन्तु समय रहते आपत्ति नहीं की गई। तहसीलदार ने सभी पक्षों को सुनकर बटवारा आदेश पारित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने एंव अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को उचित माना है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार द्वारा बटवारा करने के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई हेतु तलब किया है तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है क्यों कि तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने उपस्थित रहकर पैरवी की है जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को तहसील में सुनवाई करने अथवा पैरवी करने का अवसर नहीं मिला है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश में की गई विवेचना अनुसार पटवारी द्वारा जो फर्द (पुल्ली) तैयार की गई है फर्द तैयार करते समय पंचनामा तैयार किया गया है उस पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.11.90 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 425/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-05-2007 में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों उचित होना माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 425/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-05-2007 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर